AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेसनोट मनसुखपुरा जनपद आगरा।   दिनांक 30.05.2022

थाना मनसुखपुरा पुलिस टीम द्वारा पॉक्सो एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार.....

दिनांक 25.05.2022 को वादी द्वारा थाना मनसुखपुरा पर सूचना दी गयी कि मेरी पत्नी की मृत्यु लगभग 01 वर्ष पूर्व हो चुकी है। मेरी नाबालिग पुत्री घर पर अकेली रहती है। दिनांक 24.05.2022 को मेरी पुत्री के पेट में दर्द हुआ तो पूछने पर बताया गया कि आज से लगभग 06 माह पूर्व अपने ही गाँव के देवदत्त आया था और मेरे साथ जबरदस्ती गलत काम किया और धमकी दी कि तूने किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। मैंने डर की वजह से यह घटना किसी को नहीं बताई थी। मौका पाकर वह आ जाता है और गलत काम करता है। दिनांक 23.05.2022 को वह दवा देकर चला गया था वह मैंने खा ली, जिससे गर्भपात हो गया। इस सम्बन्ध में थाना मनसुखपुरा पर मु0अ0सं0 24/22 धारा 376/506/315 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पूर्वी के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी पिनाहट के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी मनसुखपुरा को टीम गठित कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में दिनांक 30.05.2022 को पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा प्राप्त हुयी सूचना के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त देवदत्त को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :–

01. देवदत्त पुत्र धर्मसिंह निषाद नि0 अमरूपुरा थाना मनसुखपुरा जनपद आगरा।

आपराधिक इतिहास का विवरण :–

01. मु0अ0सं0 24/22 धारा 376/506/315 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना मनसुखपुरा जनपद आगरा।

पुलिस टीम का विवरण :–

01. थानाध्यक्ष श्री गिरीश कुमार मय टीम थाना मनसुखपुरा जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।